an>

Title:Need to operationalise all automatic gauge recorders to ensure proper monitoring of distribution of river water among Punjab, Haryana and Rajasthan.

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) ः राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद काफी वÂाों से चला आ रहा है। इस संबंध में राजस्थान द्वारा अनेक बार केंद्र सरकार व माननीय उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर हुए समझौतों के अनुसार राज्यों में जल का वितरण नहीं हो रहा है। पंजाब व हरियाणा राज्य प्रायः राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं, विशेÂाकर बुवाई के समय राजस्थान को कम मात्रा में पानी दिया जाता है, जिससे किसानों के हितों पर विपरीत असर पड़ता है।

इस संबंध में 31 दिसंबर, 1981 को हुए समझौते के अनुबंध (3) के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल को सभी संबंधित राज्यों को निर्धारित मात्रा में पानी वितरण सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय तथा गेज डिस्चार्ज कर्व, स्वचलित गेज रिकॉर्डर लगाने हेतु अधिकृत किया गया है ताकि पानी का समुचित वितरण हो सके। वÂाऩ 2011 में हुई बी.बी.एम.बी. बोर्ड की 208वीं बैठक में स्वचलित गेज रिकॉर्डर लगाने हेतु 22 साइटों का अनुमोदन किया जा चुका है। 6 साइटों पर स्वचालित गेज रिकॉर्डर स्थापित कर चालू कर दिए गए हैं तथा 15 साइटों पर विश्व बैंक द्वारा पोÂिात हाइड्रोलॉजी परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वचालित गेज रिकॉर्डर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है।

अतः मेरा माननीय ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी स्वचालित गेज रिकॉर्डर का संचालन इसी वÂाऩ से प्रारंभ करने के निर्देश देने की कृपा करें ताकि राज्यों में जल के बंटवारे का विवाद सुलझाने के साथ-साथ पानी के सही बंटवारे की सही मॉनिटरिंग की जा सके।